अपील सूचना का अधिकार संख्या 124/2021 (GCMS 2021/204)(आईटीआई पोर्टल नं. 212280656876250) कृष्ण कुमार गर्ग पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 15, 8 पीएसडी"बी" रावलामण्डी, जिला श्रीगंगानगर बनाम उपजिला कलक्टर, घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढ़ा ने कथन किया कि उन्होनें उपखण्ड अधिकारी, नई मण्डी घड़साना से दिनांक 20.07.2021 को प्रार्थना पत्र कर कोरोना काल में विभाग द्वारा क्वारंटीन किये गये व्यक्तियों के खाने पीने कितना खर्च किया गया, कितने व्यक्तियों को क्वारंटीन किया और किन–किन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई थी किन्तु उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:

> विन्रम निवेदन है कि कोविड–19 की लहर के दौरान प्रशासन ने दिनांक 16.04.21 से लाकडाउन की पालना का आदेश किये हुए प्रतिष्ठान व आवागमन पर पाबन्दी थी दिनांक 16.04.21 से लेकर दिनांक 08.06.21 तक प्रशासन ने कितने लोगो को अपने कब्जे में लेकर क्वारंटींन किया और इन ... भोजन व चाय का विभाग का कितना ... ने क्वारंटीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किये उनके नाम व कितना समय क्वारंटीन का नियम पालन करवाया यह जानकारी पूर्ण आरटीआई के माध्यम से जानना चाहता हूं। अगर इस सूचना देने से विभाग का शुल्क होगा तो मांग करने अदा कर दिया जायेगा। सूचना आपके क्षेत्राधिकार व सवर्णाधिकार की है। कृप्या सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करे आपकी बडी मेहरवानी होगी।

उपखण्ड अधिकारी, घडसाना से **इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सीजी/वाचक/21/1386 दिनांक 29.11.2021 एवं स्मरण पत्र सीजी/वाचक/22/652 दिनांक 01.06.2022 से अपील का जवाब मय टिप्पणी चाही गई थी परन्तु उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के द्वारा उक्त अपील का कोई जवाब नहीं दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और **प्रश्नात्मक रूप में नही होनी** चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों की खोज के आधार पर एक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।**

परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, घडसाना द्वारा अपीलार्थी के धारा 6 के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथ[illegible] कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही इस कार्यालय [illegible]ल का कोई जवाब आदिनांक तक भिजवाया गया[illegible] के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अप[illegible] उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को रिमाण्ड करनी उचित होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को रिमाण्ड की जाती है और आदेश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय प्राप्ति के 7 दिवस में निर्णय लेकर अपीलार्थी को सूचित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को **पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ्. तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुकमणी रियार सिहाग)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:33 IST
Reason: SelfAttested